न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/79

जिला वन अधिकारी बून्दी जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, नैनवा वन मण्डल बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज पुत्र श्री चतुर्भुज आयु 62 वर्ष जाति धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. सुश्री शक्ति शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 30.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा

कुल 03 किता की रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी हेमराज के पिता चतुर्भुज आत्मज जग्गा धाकड निवासी मानपुरा तहसील नैनवा को दिनांक 27.11.1975 को आवंटित हुई थी । उक्त भूमि पर आवंटन के बाद से ही आवंटी के पिता का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । चतुर्भुज जी की मृत्यु के बाद प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित वाद पिछले 20 वर्ष से जैरकार है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने वाद अप्रार्थीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे और प्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को नष्ट नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 03 जिला वन अधिकारी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.03.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 03 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिसमें राजकीय भूमि विवादित है । उक्त प्रकरण में चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है । यहॉ तक कि दावा अबेट किये जाने का प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है । रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता चतुर्भुज के हेमराज के अलावा अन्य भी वारिस हैं । वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते की भूमि है जिस पर पौधारोपण हो रहा है । उक्त भूमि वन विभाग की है जिसे कभी किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता द्वारा राज्य सरकार एवं जिला वन अधिकारी के विरूद्ध वर्ष 1998 में प्रस्तुत किया गया था जिसको परीक्षण

न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया । उक्त आदेश की अपील पेश की गई जिसको भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में होने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया गया जिसकी सुनवाई परीक्षण न्यायालय में चल रही थी । मृतक पक्षकारों के कायममुकामान में पत्रावली नियत थी । रेस्पोडेन्ट कम 01 हेमराज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया । वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते की भूमि है जिस पर पौधारोपण हो रहा है । उक्त भूमि वन विभाग की है जिसे कभी किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 निरस्त फरमाया जावे । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 514, डीएनजे 1997 (एससी) पेज 280, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 452, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दावे की प्रति उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पिता चतुर्भुज को दिनांक 27.11.1975 को आवंटन हुई थी जिस पर अपीलान्ट के बाद से आवंटी का और उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी अपीलान्ट प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 बहाल रखा जावे ।

10. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ कुछ फोटोग्राफ्स पेश किये हैं और फोटोग्राफ्स के आधार पर उन्होंने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया और अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की प्रार्थना की थी । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 16 संलग्न है । फोटो प्रति आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2020 । नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78

संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मानपुरा की आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा वन विभाग के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते में दर्ज है । तहसीलदार नैनवा ने अपने जवाब में भी अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वन विभाग के खाते में अंकित है । वन विभाग वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार परीक्षण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है जिसमें हेमराज पक्षकार नहीं है चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है और चतुर्भुज के वारिसान में हेमराज के अलावा अन्य वारिस हैं । प्रकरण में मूल वाद विचाराधीन है जिसमें स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है । वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खातेदारी में दर्ज है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित नहीं होता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना साबित नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 निरस्त किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा